जवाब दो!!!
सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

अंक –2018/11/01/jpr/01

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 1 नवम्बर 2018

देश के विकास में बाधक कौन???

भ्रष्ट नेता??

रिश्वतखोर अधिकारी??

बिका हुआ पत्रकार??

लालची ठेकेदार??

सफेदपोश माफिया??

या खामोश जनता??

भाग-2

जवाब दीजिये.. जे.डी.सी. महोदय!!!

क्या आवासीय निर्माण स्वीकृति की आड़ में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन की यह तस्वीरें उपायुक्त जोन-5 और प्रवर्तन अधिकारी जोन-5 की अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलीभगत को उजागर करने के लिए काफी है??

भूखंड संख्या S-4 श्याम नगर ,अजमेर रोड पर आवासीय निर्माण स्वीकृति की आड़ में बना हुंडई कार का विशालकाय शोरूम

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,झारखण्ड महादेव मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,वैशालीनगर,302015 मोबाइल:-9828346151

जे.डी.ए. ज़ोन-5 का है मामला |

यह मामला न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना श्याम नगर के भूखंड संख्या एस-4 का है जो मुख्य अजमेर रोड पर स्थित है यह भूखंड जे.डी.ए. के ज़ोन 5 के अधिकार क्षेत्र में आता है|जिसके वर्तमान उपायुक्त श्री नवल किशोर बैरवा और प्रवर्तन अधिकारी श्री रघुवीर सिंह भाटी है|

यूं चला अवैध निर्माण करने का सिलसिला

आवासीय निर्माण स्वीकृति की आड़ में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन भूखंड मालिक द्वारा 702 वर्ग मीटर के इस भूखंड पर आवासीय भवन निर्माण हेतु उपायुक्त जोन-5 के यहाँ आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये| जिसे उपायुक्त जोन-5 द्वारा इन शर्तों पर आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत कर दिए कि:

- आवासीय भवन निर्माण अनुज्ञा के तहत अधिकतम ऊँचाई 7.15मीटर (जी+मेजनाईन) रहेगी |
- इस भूखंड का सकल बी.ए.आर एरिया 388.30 वर्ग गज रखा जाएगा|
- अनुज्ञा की शर्त 5 के अनुसार प्लेंथ लेवल तक निर्माण की सूचना उपायुक्त महोदय को दी जायेगी|
- अनुज्ञा की शर्त 10 के अनुसार भवन का उपयोग स्वीकृत उपयोग अनुसार ही किया जाएगा|
- शर्तों की अनुपालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द कर दी जायेगी|

निर्माण कार्य की तस्वीरें

युद्ध स्तर पर किया गया निर्माण कार्य

वर्तमान में भूखंड पर निर्मित हुंडई कार का भव्य शोरूम

परन्तु भूखंड मालिक ने इस भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु भारी वाहनों और गार्डरों से व्यावसायिक निर्माण चालु कर दियाऔर हुंडई कार के भव्य शोरूम का निर्माण कर दिया|

ज़ोन-5 के उपायुक्त और प्रवर्तन अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा अवैध निर्माण

शिकायत के जवाब में कहा कि सही है अवैध निर्माण इस मामले की एक शिकायत 22/09/2018 को संपर्क पोर्टल पर डाली गयी जिसका जवाब देते हुए दिनांक 22/10/2018 को श्रीमान प्रवर्तन अधिकारी जोन-5 द्वारा दिए गए जवाब में बताया कि इस भूखंड संख्या पर जे.डी.ए. की निर्माण स्वीकृति है अतः शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती|

Page: 1

जवाब दो!!!
सरकार

भूखंड संख्या S-4,श्याम नगर अजमेर रोड पर जोन-5 के कर्मचारियों और अधिकारीयों की शह से आवासीय भवन निर्माण अनुज्ञा की आड़ में व्यवसायिक निर्माण क्यों?

जिम्मेदार कौन??

जवाब दीजिये श्रीमान उपायुक्त महोदय जोन-5

S-4,श्याम नगर,अजमेर रोड पर आवासीय की आड़ में व्यवसायिक निर्माण

नहीं दे रहे सूचना का जवाब,गुमा दिया सूचना का आवेदन

इस प्रकरण में जब अधिक जानकारी के लिए उपायुक्त ज़ोन-5 के कार्यालय में दिनांक 28/07/2018 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया तो ज़ोन 5 के उपायुक्त कार्यालय और प्रवर्तन कार्यालय में हडकंप मच गया,दोनों कार्यालयों के कर्मचारियों ने मिलीभगत करके सूचना आवेदन को ही गुमा दिया। जिसके पश्च्यात पुनः 17/09/2018 को सूचना के लिए आवेदन किया गया परन्तु उसके भी 30 दिन बितने के पश्च्यात भी उपायुक्त कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

दो प्लाट आगे S-6 भूखंड को कर चूका जे.डी.ए. सील

पूर्व में इसी भूखंड के आगे के भूखंड एस-6 पर भी आवासीय भूखंड के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करते हुए अंग्रेजी शराब की दूकान संचालित की जा रही थी। जिसे भी कई शिकायतों के बाद जे.डी.ए. को सील करना पड़ा था।

अवैध निर्माण है शहर के विकास के लिए नासूर

शहर में हो रहे अवैध निर्माण शहर के विकास के लिए बाधक है,जहाँ अवैध निर्माणों से शहरवासियों को हवा,पानी में रुकावट,भीडभाड बेतरिब यातायात व्यवस्थों का सामना करना पड़ता है वही भू-परिवर्तन से होने वाली जे.डी.ए को राजस्व की हानि भी उठानी पड़ती है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मास्टर प्लान के अनुसार कार्य करने के दे रखे है आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा श्री गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार मामले में दायर सिविल रिट(पी.आई.एल.) पिटिशन संख्या 1554/2004 में शहरों का मूल रूप बचाने के लिए,मास्टर प्लान के अनुसार ही कार्य करने के आदेश पारित किये गये है|साथ ही आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों को मानवाधिकारों का हनन मानते हुए,पूर्णतया पाबन्द किया गया है|

राज.उच्च न्यायालय के आदेश के चलते नहीं हो सकता भू-उपयोग परिवर्तन इस याचिका के चलते माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन पर भी रोक लगा रखी है जिसके चलते अंतरिम आदेश तक इस भूखंड का व्यावसायिक उपयोग हेतु अनुमोदन नहीं हो सकता है।

जवाबदेह कौन?

ज़ोन –5 उपायुक्त;श्री नवल किशोर बैरवा:-इन्होंने इस भूखंड के आवासीय मानचित्र अनुमोदित किये है,अनुमोदन की शर्तों की पालना करने के लिए उत्तरदायी।

ज़ोन –5 प्रवर्तन अधिकारी ;श्री रघुवीर सिंह भाटी:-ज़ोन-5 में अवैध निर्माणों,अतिक्रमणों आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तरदायी।